



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, फैक्स नं०- 2224529 2224529

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-3/2014

- निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 18-01-2014 के अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 20-01-2014 को अपराह्न 17.00 बजे तक। 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय : 22-01-2014 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 22-01-2014 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर। 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु० में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
ई-निविदा से संबंधित कार्य :-					
1.	पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी थाना में ग्रेड- III थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	92.65	185300	15618	9 माह
2.	पटना जिलान्तर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के कार्यालय के समीप श्वान दस्ता के लिए कैनल (Kennel) (2 ब्लॉक) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	51.49	103000	11124	4 माह
3.	पटना जिलान्तर्गत खाजेकला थाना में 4-अपर सबोर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	52.37	104800	11124	7 माह
4.	पटना जिलान्तर्गत दीघा थाना में ग्रेड-IV थाना भवन थाना भवन, पहुँच पथ एवं बहारदिवारी का विद्युतिकरण कार्य सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	120.68	241400	15618	11 माह
5.	पटना जिलान्तर्गत पीरबहोर थाना में नया थाना भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	390.08	780200	26854	18 माह
6.	अरवल जिलान्तर्गत माणिकपुर ओपी० में नकशाल थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	135.00	270000	15618	10 माह
7.	जहानाबाद जिलान्तर्गत परसविमहा थाना में 6 लोअर सबोर्डिनेट आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	58.17	116400	11124	7 माह
8.	सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा थाना में ग्रेड-III थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	94.41	188900	15618	9 माह
9.	जमुई जिलान्तर्गत चरकापाथर थाना में ओपी० भवन (ग्रेड- II थाना भवन) का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	26.65	53300	6124	4 माह
10.	मिर्जापुर जिलान्तर्गत पुलिस लाइन, बेतिया में श्वान दस्ता के लिए कैनल (Kennel) (1 ब्लॉक) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	25.75	51500	6124	4 माह
11.	मिर्जापुर जिलान्तर्गत बेरिया थाना में 20 सिपाहियों के बैरक, विद्युतिकरण कार्य सहित का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	42.75	85500	6124	4 माह
12.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में मैगजीन भवन के निकट 40 सिपाहियों के बैरक का निर्माण कार्य	42.55	85100	6124	6 माह
13.	शिवहर जिलान्तर्गत नगर थाना में 12 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	106.56	213200	15618	12 माह
14.	गया जिलान्तर्गत दुमरिया थाना में 6 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	45.92	91900	6124	7 माह
15.	गया जिलान्तर्गत इमामगंज थाना में 6 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	45.01	90100	6124	7 माह
16.	गया जिलान्तर्गत शेरघाटी थाना में 6 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	43.08	86200	6124	7 माह
17.	रोहतास जिलान्तर्गत करगहर थाना में 6 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	46.41	92900	6124	7 माह

- 25 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के वेबसाईट www.bpbcc.co.in /बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर दिनांक- 18-01-2014 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।
- उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी।
- परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रु० 15,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए रु० 5,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए रु० 1,000/- + 12.36 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा।
- परिमाण विपत्र के मूल्य की राशि** राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतान हो, दिनांक- 20-01-14 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा।
- अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ** बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 22-01-14 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। ई-निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 23.01.2014 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निबंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निबंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदाईत कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना आवश्यक होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
- परिमाण विपत्र केवल उन्हीं सम्वेदकों को (प्रतिनिधि को नहीं) निर्गत किया जाएगा जो निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों का अभिप्राणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे एवं उसकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :- वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण-पत्र, बिक्री कर शोधन/श्रमिक निबंधन अनुज्ञापित, निबंधन प्रमाण-पत्र एवं जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा देय चरित्र प्रमाण-पत्र। विद्युतिकरण कार्य एवं विद्युतिकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतिकरण कार्य का लाईसेंस एवं पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को पार्टनर के रूप में रखकर निविदा में भाग लिया जा सकता है।
- परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।
- जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बंचित हैं (Debar), अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या कार्य शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।**
- प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी। समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रधन की राशि छः वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।

नोट :- ई-निविदा-पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

ह०/- मुख्य अभियंता, पटना।